स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर

क्रमांक : प.4(1-आर)(   )स्वा.के.रा.कृ.वि./सी/2022/ 235   दिनांक : 22.06.2022
30

कार्यालय आदेश

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर, द्वारा जारी आक्षेप संख्या 33 जो विश्वविद्यालय की इकाइयों द्वारा जांच दल के समक्ष प्रस्तुत लेखा अभिलेखो के आधार पर आलौच्य अवधि 2019-20 से संबन्धित है। उक्त आक्षेप में राजस्थान वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 एवं केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 51 के अंतर्गत विश्वविद्यालय में जीएसटी कटौती के अभाव के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणी की गई है।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग प्रथम के नियम 105 के अनुसार एवं वित्त विभाग राजस्थान के परिपत्र क्रमांक एफ.12(5)एफडी/कर/2017 पार्ट-1/120 दिनांक 25.09.2018 के अनुसार राजस्थान वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 एवं केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 51 के के अंतर्गत दिनांक 01.10.2018 से कोई भी सरकारी विभाग या इस संबंध में अधिसूचित व्यक्ति संविदा के अंतर्गत राशि 250000/- रुपये से अधिक की कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान करता है या आपूर्तिकर्ता के खाते में राशि जमा करवाता है तो उसे उक्त अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत जीएसटी की कटौती कर माह के अन्त के आगामी 10 दिन में रिटर्न फार्म जीएसटीआर-7 में जमा करवाना होगा। कटौती कर्ता आहरण एवं वितरण अधिकारी को वस्तु एवं सेवा आपूर्ति कर्ता को एक प्रमाण पत्र जारी करना होगा जिसमें संविदा मूल्य, कटौती दर, एवं कटौती की गई राशि अंकित करनी होगी।

वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के प्रावधानानुसार कोई भी कटौती कर्ता प्राधिकारी वस्तु एवं सेवाओं के भुगतान से कटौती की गई जीएसटी राशि आईएफ़एमएस का प्रयोग करते हुए नेफ्ट के माध्यम से या अधिसूचित बैंकों के चैक से चालान / जीएसटी पोर्टल पर जमा करवा सकता है। कटौती कर्ता आहरण वितरण अधिकारी को कॉमन पोर्टल (जीएसटी पोर्टल) पर रजिस्ट्रेशन करवाना तथा जीएसटी पहचान नम्बर(जीएसटीन) लेना आवश्यक होगा एवं फार्म जीएसटीआर-7 भरना अनिवार्य होगा।

राजस्थान वस्तु एवं कर अधिनियम 2017 एवं केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 51 के अंतर्गत वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति राज्य के अन्दर (Intra State Supply Transacations) होने पर RGST 1% एवं CGST 1% की दर से कटौती की जानी होगी। केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 20 के अंतर्गत वस्तु एवं सेवाओ की आपूर्ति अन्तरराज्यिक (Inter State Supply Transacations) होने पर 2 प्रतिशत की दर से IGST की कटौती करनी होगी।

अतः विश्वविद्यालय इकाई के समस्त कार्यालयाध्यक्षों / डीडीओ को एतद द्वारा निर्देश जारी किये जाते है कि उपरोक्त टिप्पणी एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित रूप से करावे ताकि भविष्य में उक्त अधिनियमों का उल्लंघन / अनदेखी न हो।

(पवन कुमार कस्वाँ)
वित्तनियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/क्षे.निदेशक/प्रभारी अधिकारी/ईओ/डीडीओ।
2. कुलसचिव, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर।
3. निजी सचिव कुलपति, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर।
4. कोषाधिकारी, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर।
5. प्रभारी CIMCA, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर को वि.वि. वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

(पवन कुमार कस्वाँ)
वित्तनियंत्रक